

केंद्रीय चौधरी
पीसीएस०
कुलसंचिव



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ- 226021
दूरभाष: ०५२२-२७३२१९३
फैक्स: ०५२२-२७३२१८५

पंत्रांक:- ए०केंटी०य० / कुस०का० / स०वि० / २०१६ / ६७२६-७३४७
दिनांक: ०७-०६-२०१६

College Code 422

सेवा में
निदेशक/प्राचार्य,

Bansal Institute of Engineering & Technology, Lucknow

NH-24, NEAR SEWA HOSPITAL, SITAPUR ROAD, LUCKNOW

विषय: शैक्षिक सत्र 2016-17 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में सन्दर्भ संख्या 2354(III)/सोलह-1-2016-13(5)/2015 दिनांक 03.06.2016 में निर्गत शासनादेश के अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संरथान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम :-

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	Intake Kept in abeyance	Affiliation Intake Approved
B.TECH.	AGRICULTURAL ENGG.	Shift I	60	0	60
B.TECH.	BIO-TECHNOLOGY	Shift I	60	0	60
B.TECH.	CIVIL ENGG.	Shift I	120	0	120
B.TECH.	CIVIL ENGG.	Shift II	60	0	60
B.TECH.	COMPUTER SC. & ENGG.	Shift I	60	0	60
B.TECH.	COMPUTER SC. & ENGG.	Shift II	60	0	60
B.TECH.	ELECTRICAL ENGG.	Shift I	60	0	60
B.TECH.	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	Shift I	120	0	120
B.TECH.	INFORMATION TECHNOLOGY	Shift I	60	0	60
B.TECH.	MECHANICAL ENGG.	Shift I	120	0	120
B.TECH.	MECHANICAL ENGG.	Shift II	60	0	60
M.B.A.	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	Shift I	60	0	60
M.TECH	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING	Shift I	18	0	18
M.TECH	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING	Shift II	18	0	18
M.TECH	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	Shift I	18	0	18
M.TECH	MECHANICAL ENGG.	Shift I	18	0	18

उपरोक्तानुसार वर्णित प्रवेश क्षमता के साथ स्वतित पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्चा, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात,


Director
Bansal Institute of Engineering & Technology
Lucknow

- रीपिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य। होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।
3. बी.फार्म./एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं सम्बन्धित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त हिंदू जाना अनिवार्य होगा तथा दर्शा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रखें की संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
4. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डॉ.ए.पी.ओ.ओ. अद्युल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क नियमन समिति द्वारा नियमानुसार अनुगम्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा बांधित सूचना संस्था समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता रागाप्त करने अथवा प्रवेश क्षमता कम करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधिकों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में रागद्वारा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्था 01 अगस्त, 2016 के पूर्व नियमक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियमक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अहृता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई तुरंत स्वयं संस्थान का होगा।
8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य प्रेषित काराये। (अध्याय:6.15)
9. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् सहस्र्या में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय:6.16)
10. ईकिक एवं शिक्षणितर स्टाफ के बेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय:6.25बी.)
11. लैंब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य उपलब्ध कराये। (अध्याय:6.13)
12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (अध्याय:6.16)
13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चर्चा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाएगा।
14. अधिकारी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का एह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. फार्मेसी तथा आर्किटेक्चर के समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियमक संस्था-फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया/अर्किटेक्चर काउंसिल आफ इंडिया (यथा लागू) का सत्र 2016-17 हेतु मान्यता का आदेश प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। अपेक्षित मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा संस्था 2016-17 में किसी भी नये छात्रों को पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश नहीं दे सकेगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
16. संस्था का ईकिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय रत्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
18. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश ईकिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आर निधारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों/आदेशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा यदि संस्था द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो समय-समय पर फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई हों। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/दोनोंशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. AMS (Academic Monitoring system) संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ०प्र०प्र०नि०/कुस०का०/2014/

4414-21 दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की आवश्यता होगी।

22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुसार शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। कठिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

23. नियामक संस्थाओं द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के सापेक्ष अत्यधिक न्यून प्रवेश के सन्दर्भ में जिन संस्थाओं का गत वर्ष पंजीकरण 60 प्रतिशत से न्यून था उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2016-17 हेतु रथगित रखा गया है। आगामी सत्र 2017-18 हेतु भविष्यत जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्णजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा सभीक्षा की जायेगी। उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औद्यक निरीक्षण में किरणी प्रकार फी कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समग्री जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रख्य रारधान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

(कोको चौधरी)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, ग्रा० कुलाधिपति/ श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
- प्रमुख सचिव, प्रायिधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- गार्ड फाइल।

Director
Bansal Institute of Engineering & Technology
Lucknow